

IRDAI (ट्रेड क्रेडिट इश्योरेंस) दशा-नरिदेश, 2021

प्रलिस के लयः

फैक्टरगऱ वनऱयऱमन, ट्रेड क्रेडऱटऱ इश्योरेंस, एमएसएमई

मेन्स के लयः

ट्रेड क्रेडऱटऱ इश्योरेंस का कवरेज एवं लाभ

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [भारतीय बीमा नयऱमक और वकऱस प्रऱधकऱरण](#) (IRDAI) ने वऱयापऱर ःण बीमा (Trade Credit Insurance) के लयऱ संशोधतऱ दशा-नरऱदेश जऱरी कयऱ है ।

प्रमुख बऱदऱ

■ वऱयापऱर ःण बीमा :

○ परचऱयः

- वऱयापऱर ःण बीमा वऱयवसऱयौं को वसतुऔं और सेवऱऔं के गऱर-भुगतऱन के जोखमऱ से बचातऱ है ।
- यह ऱमतौर पर खरीदारौं के एक पोर्टफोलऱयौं को कवर करतऱ है तथऱ एक चऱलऱन यऱ कई चऱलऱनौं के सहमतऱ प्रतशऱत की कषतऱप्रऱतऱ करतऱ है जसै लंबे समय तक डफऱॉल्ट यऱ दवऱलऱ/दवऱलऱयऱपन के परणऱमस्वरूप धन संशऱधतऱ नही कयऱ गयऱ हो ।
- यह वऱयापऱर को सुवधऱजनक बनाकर कसऱी देश के ऱर्थकऱ वकऱस में योगदऱन देतऱ है और भुगतऱन जोखमऱौं के कारण होने वऱले वऱयापऱर घऱटे का सऱमऱधऱन कर ऱर्थकऱ स्थऱरऱतऱ में सुधऱर लऱने में मदद करतऱ है ।

○ कवरेजः

- यह वसतुऔं और सेवऱऔं के वकऱरेतऱऔं यऱ ऱपूरतऱकरऱतऱतऱऔं, फैक्टरगऱ कंपनऱयौं (फैक्टरगऱ वनऱयऱमन ऱधनऱयऱम, 2011 में परभऱषतऱ) एवं बैंकौं तथऱ वतऱतऱय संसथऱनौं को जऱरी कयऱ जऱ सकतऱ है ।
- बैंकौं एवं वतऱतऱय संसथऱनौं और फैक्टरगऱ कंपनऱयौं को खरीदार से भुगतऱन प्रऱप्त न होने के कारण, वऱणजऱयकऱ यऱ रऱजनीतकऱ जोखमऱौं, खरीदे यऱ भुनऱए गऱ बऱलऱौं और चऱलऱनौं के वरऱदुध होने वऱले नुकसऱन को कवर करतऱ है ।
 - वऱणजऱयकऱ जोखमऱौं में खरीदार की दवऱलऱ यऱ वसऱतऱरतऱ चूक, ऱनुबंध की शरतौं के ऱधीन डलऱीवरी के बऱद खरीदार दवऱरऱ ऱसवीकृतऱ और शऱपऱमेंट से पहले ऱसवीकृतऱ एवं संग्रहकरऱतऱ बैंक की वफऱलतऱ के कारण भुगतऱन की प्रऱप्तऱन होनऱ शऱमलऱ है ।
 - रऱजनीतकऱ जोखमऱ कवर केवल भारत के बऱहर के खरीदारौं के मऱमले में ऱपलब्ध है और इसमें खरीदार के देश तथऱ भारत के बीच युद्ध की घटना एवं शतऱरुतऱ, गृहयुद्ध, वदऱरोह, कऱरऱतऱ, ऱशऱतऱतऱ यऱ खरीदार के देश में ऱन्य गडबडी शऱमलऱ होगी ।

○ प्रयोजयतऱ:

- ये दशा-नरऱदेश बीमा ऱधनऱयऱम, 1938 के तहत पंजीकृत सऱमऱन्य बीमा कऱरोबऱर करने वऱले सऱभी बीमऱकरतऱतऱतऱऔं पर लऱगू हौंगे ।
- हऱलौंकऱ [ECGC लऱमऱटऱड](#) (पूरव में एक्सपोरट क्रेडऱटऱ गऱरंटी कौंरपोरेशऱन ऱॅफ इंडयऱ लऱमऱटऱड) को इन दशा-नरऱदेशौं के ऱवेदन से छूट दी गई है ।

■ उतऱए गऱ कदम के लऱभः

- यह सऱमऱन्य बीमा कंपनऱयौं को देश में वऱयवसऱयौं के जोखमऱ का प्रबंधन करने, नऱ बऱजऱरौं तक पहुँच प्रदऱन करने और वऱयापऱर वतऱतऱपोषण

पोर्टफोलियो से जुड़े गैर-भुगतान जोखिम के प्रबंधन में मदद करेगा।

- यह सामान्य बीमा कंपनियों को इन उद्यमों की उभरती बीमा जोखिम ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिये अनुकूलति कवर के साथ व्यापार ऋण बीमा की पेशकश करने में सक्षम करेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/irdai-trade-credit-insurance-guidelines,-2021>

